

31/05/2015 की स्थिति में अचल सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा-नाम तथा उस सेवा-का नाम, जिन्में वह हो इन्द्र बहादुर सोनी
2. वर्तमान धारित पद न्यायालय अधीक्षक
3. वर्तमान वेतन 18540/- + अन्य वेतन
4. अगली वेतनवृद्धि 01-07-2015
5. वर्तमान पद का कुल वेतन 36132/- (शुद्ध वेतन 40582/-)

उस जिले, संभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि)	**वर्तमान मूल्य	यदि स्टच के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया स्टच, **पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
1	02	03	04	05	06	07	08
<u>इन्द्र</u>	<u>प्लॉट</u>	<u>आवासीय</u>	<u>23000/-</u>	<u>स्वयं तथा पति के नाम पर</u>	<u>विरासत दि 25/6/08 के द्वारा HOD के तौर पर 7/12/08 का पत्र के संज्ञक नाम से 1,00,000/- का रिकार्ड है। 1,00,000/- का रिकार्ड 3811 के नाम पर है। 1/12/08 के पत्र के पाने</u>	<u>36132/-</u>	<u>—</u>

\* जहां लागू न हो काट दीजिये।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टेम्पली - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

नाम इन्द्र बहादुर सोनी  
 पद न्यायालय अधीक्षक  
 जिला अधोक्ता जोरस  
इन्द्र (क.प्र.)  
 08/05/2015